

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 125 वर्ष 2024

आवेदक- पचु माँझी एवं अन्य

क्रेता- सविता किस्कू

ग्राम- नारन

ग्राम-नारन

थाना- गोमिया

जिला-बोकारो

थाना-गोमिया

जिला-बोकारो

आदेश की
क०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख का
03

आदेश

यह वाद आवेदक-1. पचु माँझी, पिता-रामदास माँझी 2. दशरथ माँझी, पिता-गुलाब माँझी, वर्तमान निवास ग्राम-नारन, पो०-तिरला, थाना-महुआटॉड, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
नारन	61	16	158	1.78 ए०	45 डी०	रैयती, टांड दो, वर्तमान टांड

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये में क्रेता-सविता किस्कू पति-राजेश मुर्मू, मूल एवं वर्तमान निवास स्थान ग्राम-नारन, पो०-तिरला, थाना-महुआटॉड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 1300/रा०, दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक-290, दिनांक-30.01.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।

02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में वोहदा माँझी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-11 के पृष्ठ सं०-14, भौलुम सं०-1 पर ओहदार माँझी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वित्तीय वर्ष 1974-75 से वर्ष 2023-24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।

03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।

04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता का प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में वोहदा माँझी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-11 के पृष्ठ सं०-14, भौलुम सं०-1 पर ओहदार माँझी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वित्तीय वर्ष 1974-75 से वर्ष 2023-24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड

की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खनियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-1. पचु मांझी, पिता-रामदास मांझी 2. दशरथ मांझी, पिता-गुलाब मांझी, वर्तमान निवास ग्राम-नारन, पो0-तिरला, थाना-महुआटाँड, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
नारन 61	16	158	1.78 ए0	45 डी0	बालेश्वर मांझी	रास्ता	रासो मांझी	रास्ता
कुल				45 डी0 (पैतालीस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-सविता किस्कू, पति-राजेश मुर्मू, मूल एवं वर्तमान निवास स्थान ग्राम-नारन, पो0-तिरला, थाना-महुआटाँड, जिला-बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।